स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

फा. सं. 56/प्रतीक/2015/पीपीएस-II/खण्ड-VII दिनांक : 6 अगस्त, 2015

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार
पटना ।

विषय: **बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015** – पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए जाने वाले/गए अभ्यर्थियों को छूट देना – निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक का आबंटन - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित **4 (चार)** पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से प्राप्त, **बिहार विधान सभा** के आगामी साधारण निर्वाचन में खड़े किए जाने वाले उनके अभ्यर्थियों के लिए एक समान प्रतीक के आबंटन में छूट देने संबंधी उनके आवेदन आयोग द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं। तदनुसार, आयोग ने **बिहार विधान सभा** के आगामी साधारण निर्वाचन में उक्त दलों के अभ्यर्थियों के लिए नीचे यथा-उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्रों में पैरा 10ख के अंतर्गत मांगी गई छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

क्र.सं.	दल का नाम	निर्वाचन (नों) के नाम	विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या	आबंटित एक समान प्रतीक
1	**भारतीय दलित पार्टी**	**बिहार विधान सभा, 2015**	बिहार राज्य में सभी 243 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में	**जूता (Shoe)** **(इस निर्वाचन प्रतीक की डिजाइन संलग्नक-I पर संलग्न है।)**
2	**हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)**	**बिहार विधान सभा, 2015**	बिहार राज्य में सभी 243 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में	**टेलीफोन (Telephone)**
3	**राष्ट्रीय समानता दल**	**बिहार विधान सभा, 2015**	बिहार राज्य में सभी 243 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में	**चारपाई (Cot)**
4	**विकास इंसाफ पार्टी**	**बिहार विधान सभा, 2015**	बिहार राज्य में सभी 243 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में	**बाल्टी (Bucket)**

2. रिटर्निंग अधिकारियों को निदेश दिए जाएं कि उपरोक्त पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को ऊपर उल्लिखित एकसमान प्रतीक आबंटित किए जाएं बशर्ते दलों द्वारा अभ्यर्थियों को खड़े करने से संबंधित निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 के उपबंधों की पूर्ति होती हो। यह भी नोट किया जाए कि ऊपर उल्लिखित राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों

को आबंटित उक्त एक समान प्रतीक भूलवश इन निर्वाचन-क्षेत्रों में किन्हीं अन्य अभ्यर्थियों को आबंटित न कर दिए जाएं। हालांकि, उक्त प्रतीक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अन्य अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीक के रूप में आबंटित किए जाने हेतु उपलब्ध होंगे जिनमें पूर्वोक्त दल वास्तव में अपने अभ्यर्थी खड़े नहीं करते हैं।

3. उपर्युक्त दलों द्वारा अभ्यर्थियों की न्यूनतम संख्या की अपेक्षा जैसाकि उक्त प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 10ख में विहित है, अर्थात् विधान सभा निर्वाचन की दशा में संबंधित राज्य में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या का 5%, पूरी नहीं करने की दशा में, उक्त एक समान प्रतीक उनके अभ्यथियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
सचिव

प्रति प्रेषितः-

क्र.सं.	दल का नाम	अनुदेश
1.	**अध्यक्ष,** भारतीय दलित पार्टी, खाता संख्या 269, मौ-विजयनगर, पो.-विजयनगर, अँचल-बाँका, जिला-बाँका (बिहार).	यह सूचित किया जाता है कि दल और अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 के प्रत्येक उपबंध का अवश्य पालन करना चाहिए।
2.	**अध्यक्ष,** **हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर),** **माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना-रामपुर, जिला-गया, बिहार-823001.**	
3	**अध्यक्ष,** **राष्ट्रीय समानता दल,** **8/440, त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली.**	
4	**अध्यक्ष,** **विकास इंसाफ पार्टी,** **मकान संख्या-23, वार्ड संख्या-10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ गोदाम के पास, तहसील-सदर, जिला-फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212601**	

5. प्रधान सचिव (आर के एस)
6. पूर्व अनुभाग-I
7. गार्ड फाइल

संलग्नक-I

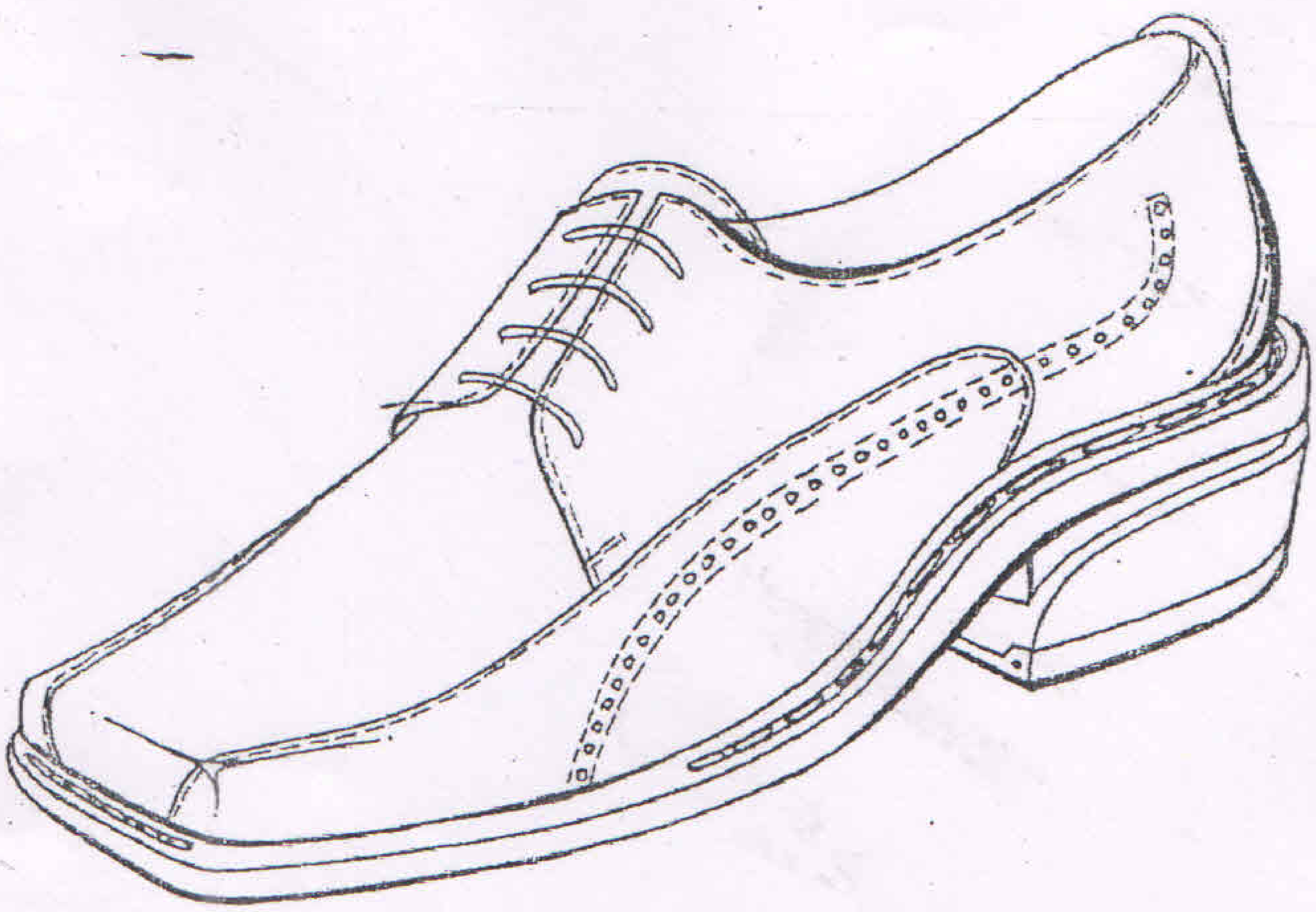

जूता

(Shoe)